

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना कम्पोजिट भवन, कलेक्टोरेट के सामने द्वितीय तल बिलासपुर (छ.ग.)-495001, ई मेल-newdeobilaspur07@gmail.com

क्रं./ १४९ / शिकायत / 2026

बिलासपुर, दिनांक 23.01.2026

// आदेश //

—00—

कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर छ.ग.के आदेश क्रं./क/वित्त/2025/2960 बिलासपुर दिनांक 28.06.2025 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का प.क्रं./File No.RULE – 3017/2/2025/GAD-6 नवा रायपुर, दिनांक 05 जून 2025, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का प.क्रं./एफ01-01/2024/एक/6 नवा रायपुर, दिनांक 25 नवंबर 2024 के अनुरूप शिक्षा विभाग बिलासपुर के अंतर्गत विकास तिवारी सहा.ग्रेड-02 का प्रशासनिक स्थानांतरण कार्यालय प्राचार्य, शासकीय उच्च.मा.विद्यालय लोहर्सी (सोन) विकास खण्ड मस्तुरी जिला बिलासपुर में किया गया था। साथ ही विकास तिवारी सहा.ग्रेड-02 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक /7600/स्था.04/2025 बिलासपुर दिनांक 01.07.2025 को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर से स्थानांतरित संस्था कार्यालय प्राचार्यशासकीय उच्च.मा.विद्यालय लोहर्सी (सोन) विकास खण्ड मस्तुरी जिला बिलासपुर के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया था।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर File No.RULE – 3017/2/2025/GAD-6 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक सितम्बर 2025 विषय स्थानांतरण निरस्त/संशोधन करने के संबंध में वरिष्ठ सचिवो की समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदनो पर समिति की अनुज्ञा पर कार्यवाही के संबंध में पत्रानुसार श्री विकास तिवारी ,सहायक ग्रेड-02 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर का आवेदन पर वरिष्ठ सचिवो की समिति के द्वारा 3/माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.07.2025 के परिपालन में समिति द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतः समिति अभ्यावेदन अमान्य करने की अनुज्ञा करती है लेख किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर पत्र क्रं./एफ3-1/2024/1-3, नवा रायपुर दिनांक 14.06.2024 अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवको के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के अनुसार लंबे समय से कर्तव्य से अनुपस्थित रह रहे है जिससे शासन के नियमो की अनदेखी कर रहे हैं।

श्री विकास तिवारी ,सहायक ग्रेड-02 के द्वारा आज दिनांक तक स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है जो कि उच्च कार्यालयो एवं शासन आदेश की अवहेलना करने एवं लंबे समय से बिना सूचना के अवकाश पर रहने का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम,के विपरित गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियमानुसार श्री विकास तिवारी सहा.ग्रेड-02 स्था0संस्था कार्यालय प्राचार्यशासकीय उच्च.मा.विद्यालय लोहर्सी (सोन) विकास खण्ड मस्तुरी जिला बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मस्तुरी नियत किया जाता है।

निलंबन अविध में श्री विकास तिवारी सहा.ग्रेड-02 को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

जिला शिक्षा अधिकारी
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ. क्रं. / 990 / शिकायत / 2026
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक 23.01.2026

1. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग.की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग.की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर, बिलासपुर छ.ग.की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर छ.ग.की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मस्तुरी जिला बिलासपुर छ.ग.की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्राचार्य, शासकीय उच्च.माध्य.विद्यालय लोहर्सी(सोन) वि.ख.मस्तुरी जिला बिलासपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित श्री विकास तिवारी, सहायक ग्रेड-02 शासकीय उच्च.माध्य.विद्यालय लोहर्सी(सोन) वि.ख.मस्तुरी जिला बिलासपुर छ.ग. निवासी गणेश चौक नेहरू नगर बिलासपुर छ.ग. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. कार्यालयीन शाखा स्था.04 को फाईल हेतु सूचनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
बिलासपुर (छ.ग.)